न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 47/19

1. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र रामगोपाल तेली निवासी भाडोती तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. पूरण मल पुत्र रामगोपाल
2. सीतादेवी पत्नि पूरणमल
3. लोकेश पुत्र पूरणमल
4. दीपक पुत्र पूरणमल सभी जातियान साहू निवासीयान भाडोती तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 10/17 निर्णय दिनांक 25.9.19)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री राधेश्याम बैष्णव
2. रेस्पोडेटान की और से भोलाशंकर शर्मा

निर्णय

दिनांक 23.12.19

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0नं0 10/17 निर्णय दिनांक 25.9.19 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम भाडोती मे प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि नवीन ख0न0 336/2050 रकबा 0.18 है0 , ख0न0 338 रकबा 0.20 है0 स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का कोई संबंध वास्ता नही है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी से आये दिन झगडा करते रहते है। दिनांक 11.6.17 को प्रार्थी जब अपनी भूमि पर फसल स्यालू हेतु खरार कार्य कर रहा था तभी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 हाथो मे लाठी डंडे लेकर आये तथा कहने लगें कि प्रार्थी को भूमि काश्त नही करने देगे। अतः अस्थाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 336/250 रकबा 0.18 है0 तथा ख0न0 338 रकबा 0.20 है0 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। ना ही किसी प्रकार का निर्माण करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहंस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम भाडोती मे स्थित भूमि ख0न0 336/2050 रकबा 0.18 है0 ख0न0 338 रकबा 0.20 है0 अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर रेस्पो0 का कोई संबंघ नही है। रेस्पो0 अपीलांट की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अपींलाट स्थाई रूप से विकलांग है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर अपना आदेश पारित किया है। दिनांक 1.12.12 को अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य कोई बंटवारा नही हुआ है। न ही कोई भूमि अपीलांटं ने रेस्पो0 को देने की बात कही है। रेस्पो0 ने अपने काउन्टर क्लेम मे गलत तथ्य अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नही देखा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 212 के साथ पेश की गई जमाबंदी सम्वत 2072–75 तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2068–71 तक की पेश की है जिसको अनदेखा किया है। रेस्पो0 ने फर्जी बंटवारा पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने फर्जी बंटवारे का ज्यादा महत्व दिया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रलेखिय दस्तावेज को कम महत्व दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को रेस्पो0 जबरन छीनना चाहते है। तथा अपीलांटान के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण हीं अधिनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 को पाबन्द करना चाहिए था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है। हमारे पिताजी के जीवनकाल मे ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य बटवारा किया जा चुका है इस बाबत दिनांक 1.12.12 को बटवारा नामा लिखा गया था जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार भाडोती की आराजी लक्ष्मण के नाम है उसमे से 1/2 अप्रार्थी न0 1 के हिस्से आई है। प्रार्थी के मन मे बदयान्ति आ गई आने से वह बंटवारेनामे से पलट रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गनगढन्त एवं झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थी जिस आराजी पर खरार करना बताता हैं वह भूमि काफी समय से पडत पडी हुई है। वाद वाहुलता को देखते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को पाबन्द किया गया है। जो एक विधिक कानूनी प्रकिया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। न्यायिक दृष्टांत 2014 (2) आर एल डब्लू पेज 960 (Raj) व 2008 (2) डी एन जे (Raj) पेज 955 पेश किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को को ध्यान मे रखते हुए विचारण न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टांतो को ससम्मांन अध्ययन किया । यह अपील न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के निर्णय दिनांक 25.9.19 के विरूद्व पेश की गई है।

Scanned by CamScanner

विचारण न्यायालय मे अभी वाद विचाराधीन है। पत्रावली पर पारिवारिक बंटवारा के रूप मे एक लिखावट उपलब्ध है जिस पर पक्षकारो के हस्ताक्षर है। इसकी कानूनी स्थिति क्या है यह वाद मे गुणावगुण के आधार पर तय की जावेगी, परन्तु जब तक पक्षकार मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यह उचित है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इसी भावना के अनुरूप विस्तृत विवेचन कर किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 10/17 निर्णय दिनांक 25.9.19 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23.12.19

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 16:24:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: